शीर्ष प्राथमिकता/अति आवश्यक

कार्यालय जिला विकास अधिकारी उन्नाव।

पत्रांक 3242/ग्राम चौपाल/ 2022–2023/ दिनांक 10-01.23

कार्यालय ज्ञाप

आयुक्त, ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या 3477/स्था0प्र0/2023 दिनांक 04.01.2023 के द्वारा अनु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के पत्र संख्या आर–351/38–1–2022–3551/2022/ग्राम्य विकास अनुभाग–1/दिनांक 29 दिसम्बर, 2022 के बिन्दु संख्या–3 उल्लिखित प्रत्येक विकास खण्ड की तीन ग्राम पंचायतों में प्रत्येक शुक्रवार को ग्राम चौपाल का आयोजन करने के स्थान पर संशोधित करते हुये प्रत्येक विकास खण्ड की दो ग्राम पंचायतों में प्रत्येक शुक्रवार को " **ग्राम चौपाल** " (गांव की समस्या, गांव में समाधान) का आयोजन किये जाने के निर्देश प्रदान किए गये हैं।

तिथिवार निर्धारित कार्यक्रम

क0स	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम चौपाल हेतु निर्धारित तिथि	चौपाल में प्रतिभाग करने वाले अधिकारी का नाम
1	2	3	4	5
1	पुरवा	ऊँचगांव	13.01.2023	स0वि0अ0–सहकारिता
		बहरौला	13.01.2023	स0वि0अ0–पंचायत
2	बॉगरमऊ	गुलजारपुर	13.01.2023	ख0वि0अ0
		कुरसठ ग्रामीण	13.01.2023	स0वि0अ0–सहकारित
3	फतेहपुर चौरासी	लखनापुर	13.01.2023	स0वि0अ0–पंचायत
		दौलतपुर	13.01.2023	अ0अभि0–ल0सिं0
4	गंजमुरादाबाद	अटवा	13.01.2023	ख0वि0अ0
		अवैक	13.01.2023	स0वि0अ0–आई0एस0बी0
5	नवाबगंज	बिचपरी	13.01.2023	ख0वि0अ0
		मददूखेडा	13.01.2023	स0वि0अ0–आई0एस0बी0
6	हिलौली	असरेन्दा	13.01.2023	ख0वि0अ0
		लउवा सिंहनखेड़ा	13.01.2023	स0वि0अ0–पंचायत
7	असोहा	कालूखेडा	13.01.2023	स0वि0अ0–सहकारिता
		बरौली	13.01.2023	स0वि0अ0–पंचायत
8	बिछिया	जरगॉव	13.01.2023	ख0वि0अ0
		धूरखेत	13.01.2023	स0वि0अ0–आई0एस0बी0
9	मियॉगज	आ0त0लोमन	13.01.2023	अ0अभि0–ल0सिं0
		बूढानपुर	13.01.2023	स0वि0अ0–आई0एस0बी0
10	सि0सरोसी	चौरा	13.01.2023	अ0अभि0–ग्रा0अभि0वि0
		चिलौला	13.01.2023	स0वि0अ0–सांख्यकी
11	सफीपुर	मवईभान	13.01.2023	स0वि0अ0–आई0एस0बी0
		दरौली	13.01.2023	स0वि0अ0–पंचायत
12	हसनगंज	संदाना	13.01.2023	अ0अ0–ल0सिं0
		चक कुशेहरी	13.01.2023	स0वि0अ0–आई0एस0बी0
13	सि0करन	बेंथर	13.01.2023	स0वि0अ0–सांख्यिकी
		बहुराजपुर	13.01.2023	स0वि0अ0–आई0एस0बी0
14	सुमेरपुर	बजौरा	13.01.2023	संयुक्त ख0वि0अ0
		रावतपुर	13.01.2023	स0वि0अ0–पंचायत
15	औरास	जवन	13.01.2023	स0वि0अ0–आई0एस0बी0
		अदौरा	13.01.2023	ख0वि0अ0
16	बीघापुर	दादामऊ	13.01.2023	स0वि0अ0–पंचायत
		कैलाव	13.01.2023	स0वि0अ0–सहकारिता

जनपद के समस्त विकास खण्डों में आयोजित ग्राम चौपाल हेतु दिशा–निर्देश निम्नवत् हैं।

1. समस्त खण्ड विकास अधिकारी/नामित नोडल अधिकारी निर्धारित तिथि को ग्राम पंचायत की " ग्राम चौपाल " में 11.00 बजे पंहुचेगें तथा चौपाल का आयोजन कर जनसामान्य की शकायतो/समस्याओं का मौके पर निस्तारण करायेगें तथा इसके साथ ही ग्राम्य विकास विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों/निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन भी करेगें।
2. " ग्राम चौपाल " की तिथियों एवं जहां ग्राम चौपाल आयोजित होगा का व्यापक प्रचार–प्रसार चौपाल की तिथि से 07 दिवस पूर्व संबंधित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
3. " ग्राम चौपाल " के लिए नामित अधिकारी के लिए नामित अधिकारी के अवकाश पर होने की दशा में उस अधिकारी का प्रभार जिसके पास होगा, उस अधिकारी द्वारा " ग्राम चौपाल " में प्रतिभाग किया जायेगा।
4. " ग्राम चौपाल " के लिए निर्धारित तिथि के 05 दिवस पूर्व से ही उस ग्राम पंचायत में स्वच्छता/साफ–सफाई अभियान जिला पंचायत राज अधिकारी एवं संबंधित विकास खण्ड के सहायक विकास अधिकारी (पंचायत)/जनसहयोग से चलाया जायेगा।
5. " ग्राम चौपाल " की शुरूवात ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों के निरीक्षण से होगी, जिसमें मनरेगा के कार्य, मजदूरी भुगतान, महिला मेट, समूह की गतिविधियां, यथा समूह गठन, बी0ओ0 सी0एल0एफ0, बी0सी0 सखी, विद्युत सखी, लखपति महिला, टी0एच0आर0 प्लान्ट, पंचायत विभाग द्वारा वित्त आयोग की धनराशि से कराये गये समस्त कार्य, ग्राम पंचायत में लगाई गई लाइटों, सामुदायिक शौचालयों, पंचायत भवन, जल निकासी नाली, सड़क/सम्पर्क मार्ग, गौ आश्रय स्थल, स्कूल भवन, स्कूल संचालन, एम0डी0एम0, सिंचाई व्यवस्था(नहर/नलकूप), संचारी रोग, टीकाकरण राशन वितरण, उज्जवला गैस कनेक्शन, हर घर नल से जल, आंगनबाड़ी एवं ए0एन0एम0 सेन्टर का निरीक्षण, वृद्धा, विधवा एवं विकलांग पेंशन तथा छात्रवृत्ति का सत्यापन आदि किया जायेगा।
6. कार्यक्रम में आयुष्मान कार्ड, किसान सम्मान निधि, कृषि एवं कृषि रक्षा से जुड़े विषय, प्राकृतित एवं आर्गेनिक खेती, हर घर नल से जल तथा सुशासन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अनिवार्य रूप से चर्चा की जायेगी।
7. संबंधित ग्राम के लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षक भी चौपाल में उपस्थित होंगे तथा चकमार्ग, सार्वजनिक भूमि आदि की पैमाइश का कार्य भी इनके द्वारा चौपाल दिवस को कराया जायेगा।
8. " ग्राम चौपाल " में ग्राम्य विकास विभाग के अलावा अन्य विभागों यथा पंचायत, स्वास्थ्य, कृषि, राजस्व, शिक्षा, सिंचाई, नलकूप , पशुपालन, समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, महिला एवं बाल विकास, खाद्य एवं रसद तथा जल जीवन मिशन/नमामि गंगे आदि के ग्राम स्तरीय कर्मचारी तथा ग्राम स्तरीय कर्मचारी न होने की स्थिति में उस विभाग के खण्ड स्तरीय अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से प्रतिभाग किया जायेगा।
9. " ग्राम चौपाल " में प्राथमिकता के आधार पर समस्या का निराकरण कराया जायेगा तथा किसी पुरानी एवं चिरप्रतीक्षित समस्या का निराकरण कर ग्रामवासियों तथा अन्य जनमानस को अवगत कराया जायेगा।
10. अच्छे कार्य करने वाले जनप्रतिनिधियों एवं कर्मचारियों (संविदा सहित) को प्रशस्ति–पत्र देकर सम्मानित किया जायेगा तथा इनको अपने पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत बनाने के लिए प्रेरित भी किया जायेगा।
11. " ग्राम चौपाल " में संबंधित खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा प्राथमिकता निर्धारित की जायेगी कभी महिला स्वास्थ्य, कभी शिक्षा तथा कभी कृषि आदि विषयों पर केन्द्रित कार्यक्रम आयोजित किये जाये।
12. जिस ग्राम पंचायत में चौपाल आयोजित होगी, वहां के गांव से बाहर रहने वाले संभ्रान्त नागरिकों, ग्राम में वर्तमान में रहने वाले संभ्रान्त नागरिकों एवं ग्राम के खिलाड़ियों (बालक/बालिका) के सम्बन्ध में अलग–अलग प्रारूप पर 01 से 05 पर सूचना उसी दिन उपलब्ध करायी जायेगी। ग्राम पंचायत में सार्वजनिक एवं सांस्कृतिक महत्व के स्थलों के विषय में भी सूचना संकलित कर उपलब्ध करायी जायेगी।

13. " ग्राम चौपाल " मे आयोजित होने वाले कार्यक्रम, प्रतिभाग करने वाले जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों का विवरण, चौपाल में आई महत्वपूर्ण समस्यायें तथा उस पर की गयी कार्यवाही आदि का विवरण उसी दिन विकास खण्ड द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जायेगा एवं खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा बिन्दु संख्या 12, 13 की सूचना रूरल साफ्ट पर फीड करायी जायेगी।
14. " ग्राम चौपाल " के आयोजन के एक माह बाद चौपाल में प्रतिभाग करने वाले अधिकारी उसी ग्राम में शनिवार को (तहसील दिवस/सामाधान दिवस को छोड़कर) जाकर समस्या के निराकरण कर फीडबैक प्राप्त करेगें तथा अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेगें।
15. " ग्राम चौपाल " प्रत्येक ग्राम की डिजिटल डायरी तैयार की जायेगी, जिसमें ऐजेण्डा बिन्दु के साथ कार्यक्रम के फोटोग्राफ सम्मिलित होंगे। डिजिटल डायरी जनपद स्तर पर जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी कार्यालय में संरक्षित रखी जायेगी।

(संजय कुमार पाण्डेय)
जिला विकास अधिकारी
उन्नाव।

पत्रांक व दिनांक उक्त

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उन्नाव।
2. समस्त तहसीलदार/उपजिलाधिकारी
3. जिला कार्यक्रम अधिकारी, उन्नाव।
4. जिला पूर्ति अधिकारी, उन्नाव।
5. जिला प्रोवेशन अधिकारी, उन्नाव।
6. जिला समाज कल्याण अधिकारी, उन्नाव।
7. जिला दिव्यांगजन अधिकारी, उन्नाव।
8. अधिशासी अभियन्ता, नलकूप उन्नाव।
9. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, उन्नाव।
10. अधिशासी अभियन्ता, शारदा नहर उन्नाव।
11. अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई उन्नाव।
12. अधिशासी अभियन्ता, जल निगम उन्नाव।
13. अधिशासी अभियन्ता, पी0डब्लू0डी0 उन्नाव।
14. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत खण्ड उन्नाव।
15. जिला कृषि अधिकारी, उन्नाव।
16. जिला कृषि रक्षा अधिकारी, उन्नाव।
17. जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी, उन्नाव।
18. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उन्नाव।
19. परियोजना अधिकारी, यू0पी0 नेडा उन्नाव।
20. मुख्य पशुचिकित्साधिकारी उन्नाव।
21. जिला पंचायत राज अधिकारी उन्नाव।
22. उपायुक्त(श्रम रोजगार) उन्नाव।
23. उपायुक्त(स्वतः रोजगार) उन्नाव।
24. परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण उ
25. उपकृषि निदेशक उन्नाव।
26. मुख्य चिकित्साधिकारी, उन्नाव।
27. अपर जिलाधिकारी(वि0 एवं राजस्व) उन्नाव।
28. मुख्य विकास अधिकारी महोदय उन्नाव की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
29. जिलाधिकारी, महोदया उन्नाव की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित ।

जिला विकास अधिकारी
उन्नाव।